राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 647/2013/झुन्झुनू
2. अपील संख्या 648/2013/झुन्झुनू

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत झुन्झुनू। .....अपीलार्थी.

बनाम्

श्री नरेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण गुप्ता,
सिंघाना तहसील बुहाना (झुन्झुनू)। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई, ...अपीलार्थी की ओर से.
उप–राजकीय अभिभाषक।
श्री डी.कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19.05.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 254–255/आरएसटी/झुन्झुनू/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी (जिसे आगे "**सशक्त अधिकारी**" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29(8)(बी), 79(5), एवं 68 (जिसे आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 12.05.2009 के जरिये निम्नांकित तालिकानुसार आरोपित की गई मांग राशियों को अपास्त रखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों अपीलें स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किए। जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा यह दोनों अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	अपी. अधि. की अ.सं.	अवधि	कर	ब्याज	शास्ति	कुल मांग राशि
647/13	254/आरएसटी/झुन्झुनू	29.03.05 से 31.08.05	7,98,195	82,149	15,98,390	24,78,734
648/13	255/आरएसटी/झुन्झुनू	01.09.05 से 31.12.05	21,23,336	85,489	42,48,672	64,57,497

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी ठेकेदार को राजस्व जिला झुन्झुनू एवं सीकर में बजरी व चेजा पत्थर पर कर संग्रहण करने हेतु अधिसूचना दिनांक 11.03.2005 के द्वारा एक वर्ष के लिये (दि. 29.03.2005 से दि. 28.03.2006 तक) अनुमानित वार्षिक कर राजस्व राशि (इ.ए.टी.आर.) रूपये 372 लाख अथवा कुल संग्रहित कर राशि दोनों में से जो भी अधिक हो, को राजकोष में जमा कराने की शर्त पर 3.49 प्रतिशत क्लेकशन चार्जेज की दर पर ठेका स्वीकृत कर अधिसूचना के अनुसार चौकियां स्थापित की जाकर, कर संग्रहण किए जाने हेतु अधिकृत किया गया था जिसकी पालना में अपीलार्थी ठेकेदार द्वारा चौकियां स्थापित की जाकर कर संग्रहण कार्य किया जा रहा था। दिनांक 08.07.2005 को भ्रष्टाचार निरोधक की 12 टीमों द्वारा कर संग्रहण ठेकेदार के झुन्झुनू तथा सिंघाना स्थित कार्यालयों की तथा अधिसूचित क्षेत्र की जांच की गई थी। तदुपरान्त की गई

लगातार.....2

19/05/17

जांच के सम्बन्ध में पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, विशेष सतर्कता सेल, राज. जयपुर ने आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, राज. जयपुर को जरिये पत्र क्रमांक एसीबी/सीवीसी/05/167 दिनांक 20.07.2005 के अवगत करवाया था, कि जांच के दौरान ठेकेदार द्वारा फर्जी कूटरचित रसीदें काम में ली जाकर राजकोष को नुकसान पहुंचाया गया है। इस क्रम में विभाग को अपने स्तर पर जांच इत्यादि करने हेतु निर्देशित किया जाने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत ठेकेदार के विरूद्ध दिनांक 24.11.2005 को एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के पत्र के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राज. जयपुर के पत्र संख्या 637 दिनांक 24.11.2005 की पालना में, उपायुक्त (प्रशासन) बीकानेर के आदेश क्रमांक 308 दिनांक 25.11.2005 द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण दल का गठन किया जाकर, ठेकेदार द्वारा कर संग्रहण हेतु उपयोग में ली गई एवं कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाई गई रसीदों का अंकेक्षण करवाया गया, तो अंकेक्षण दल ने कुटरचित रसीदों द्वारा भी कर संग्रहण किए जाने के संबंध में आक्षेप गठित किए। ठेकेदार द्वारा दिनांक 29.03.05 से 31.08.05 तक कर संग्रहण हेतु उपयोग में ली गई रसीद बुकों का अंकेक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाकर दिनांक 22.12.05 को कर निर्धारण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत की। अंकेक्षण दल द्वारा गठित आक्षेपों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 12.5.2009 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर, शास्ति एवं ब्याज की कुल मांग राशि उक्त दोनों अवधियों के लिये उपरोक्त तालिकानुसार आरोपित की गई। उक्त पारित आदेशों के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश किए जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.09.2012 से अपीलें स्वीकारते हुए प्रतिप्रेषित की, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा यह दोनों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है। साथ ही प्रतिप्रेषण आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना विस्तृत आदेश दिनांक 17.11.2014 को पारित कर दिया।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. प्रकरण में उप राजकीय अभिभाषक ने प्राथमिक आपत्ति प्रकट करते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 26.09.2012 द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये है, जिनकी पालना में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने उभयपक्षों की सुनवाई करते हुए दिनांक 17.11.2014 द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर दिये है। चूंकि व्यवहारी द्वारा यह विवादित अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दि. 26.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जो अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना होने से अस्तित्व में नहीं हैं, अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील "सारहीन" हो गयी है। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:–

(i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
(ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8
(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)
(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर ही बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई है।

लगातार.....3

19/05/17

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अनुचित बतलाते हुए तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.9.12 को प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 17.11.2014 पारित कर दिया है, जिससे वर्तमान में लम्बित यह अपील निष्प्रभावी हो जाती है।

7. उभयपक्ष की बहस, प्रस्तुत तथ्यों, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

8. रिकॉर्ड का परिशीलन से विदित होता है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों से संबंधित प्रस्तुत अपील को अपने आदेश दि. 26.9.12 द्वारा प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया था। निर्धारण अधिकारी ने प्रतिप्रेषित प्रकरणों का निष्पादन अपने आदेश दिनांक 17.11.2014 को कर दिया। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59, जिसका संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार है** :–

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order."

9. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर. टी.टी.) से भी मेल खाते है। राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** के निर्णय तथा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में दिनांक **17.11.2014** को निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" हो गयी है ।

10. परिणामतः दोनों अपीले "सारहीन" होने के कारण खारिज की जाती हैं।

11. निर्णय प्रसारित किया गया ।

19/05/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य

19.5.2017

(मदन लाल)
सदस्य